सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

27.6.18

27.06.2018

निर्णय

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र भादरेश में पेश हुई। वादीनी लांगोदेवी उपस्थित तथा प्रतिवादी तहसीलदार बाडमेर उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ने वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया, जिसे सामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों को सुना गया। वाद पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कामोईपुरा में स्थित खसरा नम्बर 300/166 रकबा 06.00 बीघा भूमि पर वादीनी के पति एवं उनकी मृत्यु के पश्चात निर्वाद रूप से काश्त व कब्जा चला आ रहा है एवं वादीनी की रहवासी ढाणी पानी का टांका आदि बने हुए है। वादीनी का पुस्तेनी काश्त व कब्जा होने से वादग्रस्त भूमि को अपनी खातेदारी में अंकित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

प्रतिवादी तहसीलदार बाडमेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर वादीनी अतिक्रमी है, वादीनी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किया जाता रहा है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 300/166 रकबा 06.00 बीघा किस्म गै.मु. मगरा को खातेदारी में घोषित करवाने का वादीनी को कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि गत बन्दोबस्त से आज तक राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि है और राजकीय खाते में अंकित है। वादीनी का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर बहेसियत अतिक्रमी होने से उसे

Scanned by CamScanner

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 38/2017 अनवान लांगों देवी बनाम तहसीलदार बाडमेर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार पाने की अधिकारिणी नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत वाद निराधार एवं सारहीन हाने से खारिज किया जाता है। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner